न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 89 / 2026

निर्णय दिनांक 08.05.2026

ऑनलाईन नम्बर 2026 / 171

पुष्पा पत्नी स्व. सुरजाराम जाति खाती निवासिनी रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–वादिनी –

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रतिवादी–

–उपस्थितिः–

1. श्री जगदीश प्रसाद बाना अभिभाषक वादिनी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 भू–राजस्व अधिनियम</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी की ओर से दावा निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि वादिनी की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1078 तादादी 8.7400 हैक्टेयर वाकेरोही रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। जिसमें वादिनी का 1 / 3 हिस्सा भूमि है। जिस पर वादिनी का कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग चला आ रहा है। उक्त खसरान की भूमि वादिनी को विरास्तन प्राप्त हुई जो वादिनी की पैतृक कृषि भूमि हैं। वादिनी को अपने घर, परिवार व रिश्तेदारी में पुष्पा व फुसी दोनों ही नामो से जाना व पुकारा जाता है। इसलिए वादिनी के नाम से जारी दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में वादिनी का नाम पुष्पा दर्ज चला आ रहा है। उपरोक्त खसरा की भूमि पूर्व में वादिनी के पति के नाम से दर्ज थी, वादिनी के पति की मृत्यु के बाद उपरोक्त खसरा की भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय वादिनी का बोलता नाम फुसी अंकित हो गया। चूंकि वादिनी को पुष्पा व फुसी दोनो ही नामो से जाना व पुकारा जाता था, उक्त विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय वादिनी का नाम फुसी अंकित करवा दिया गया था। वादिनी के नाम जब उपरोक्त खसरान की भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज हुआ, तब हल्का पटवारी ने बिना कोई जांच पड़ताल–पूछताछ किये सहबन से पुष्पा के स्थान पर फुसी दर्ज कर दिया। जो कि आजतक वादिनी के नाम की खातेदारी भूमि में बराबर चला आ रहा हैं। जिससे वादिनी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा वादिनी को अपनी खातेदारी की भूमि पर ऋण लेने या ऋण सीमा बढ़वाने व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित होना पड़ रहा हैं। इसलिए वादिनी को अपनी खातेदारी की उक्त खसरा की भूमि में अपना नाम सही करवाना आवश्यक हो गया। वादिनी के खेत की जमाबंदी में गलत नाम दर्ज होने के कारण ऋण लेने से वंचित हो रही है, क्योंकि वादिनी के राजस्व रिकार्ड व वादिनी के नाम से बने अन्य समस्त पहचान के दस्तावेजो में अलग–अलग नाम दर्ज हैं, इसलिए बैंक के नियमानुसार वादिनी को ऋण स्वीकृत नही कर सकती है। वादिनी ग्रामीण परिवेश की वृद्ध व अनपढ़ महिला हैं, जिसे अपने घर, परिवार, समाज व गांव में पुष्पा के नाम से जाना व पुकारा जाता है व वादिनी के पति की मृत्युपरात विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय वादिनी का बोलता नाम फुसी दर्ज कर दिया गया, जबकि वादिनी के तमाम सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड आदि में

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वादिनी का नाम पुष्पा अंकित चला आ रहा है। यानि वादिनी का सही व वास्तविक व रिकार्ड अनुसार नाम पुष्पा है। वादिनी का सही व वास्तविक व प्रशासनिक नाम शुरू से ही पुष्पा रहा है, जिसको वादिनी राजस्व रिकार्ड में घोषित करवाकर शुद्धि करवाने का अधिकारी है। वादिनी का शुरू से ही नाम पुष्पा चला आ रहा है, केवल राजस्व रिकार्ड में फुसी अंकित हो गया है। वादिनी के अन्य तमाम दस्तावेजों में पुष्पा अंकित है। उपरोक्त सभी दस्तावेजातों की फोटो प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। गांव रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ में पुष्पा पत्नी स्व. सुरजाराम के नाम का अन्य कोई औरत नही है, वर्णित खसरान भूमि पर वादिनी का ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रही है, इसलिए वादिनी उपरोक्त खसरा की भूमि में अपना सही नाम पुष्पा अंकित करवाने की कानूनन अधिकारिणी है। उपरोक्त खसरा भूमि में वादिनी का गलत नाम फुसी अंकित होने के कारण वादिनी को कई प्रकार की परेशानियां पैदा हो रही है तथा सरकारी लाभ से वंचित हो रहा है। वादगत खेतों में वादिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहबन से गलत अंकित कर दिया गया है, इस बाबत वादिनी ने दिनांक 13.03.2026 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि मेरा नाम पुष्पा है, जबकि वादगत खसरा भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के तौर पर मेरा नाम फुसी अंकित कर दिया गया है, जबकि मेरे अन्य तमाम दस्तावेजात मेरा सही नाम पुष्पा अंकित चला आ रहा है, उस हिसाब से दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में मेरा सही नाम पुष्पा दर्ज किया जावें, तो प्रतिवादी ने वादिनी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेना पड़ेगा, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादी ने वादिनी के नाम की शुद्धिकरण कर राजस्व रिकार्ड में सही नाम पुष्पा दर्ज करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादिनी के पास रिकार्ड दुरूस्ती हेतु व अपने सही नाम की घोषणा हेतु यह घोषणात्मक दावा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वादिनी की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1078 तादादी 8.7400 हैक्टेयर वाकेरोही रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है, जिसमें वादिनी का 1/3 हिस्सा भूमि है जिसमें वादिनी का नाम फुसी गलत अंकित चला आ रहा है, जिसकी दुरूस्ती करवाने की वादिनी अधिकारिणी है परन्तु प्रतिवादी ने उक्त शुद्धि करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। इन्कारी की दिनांक से वादिनी को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादिनी की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है। दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है, दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी. सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादिनी को भारी क्षति होगी, यानि वादगत खेत में वादिनी का नाम गलत अंकित होने से वादिनी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादिनी को अपने खेतो पर ऋण आदि लेने से भी वंचित हो रही है। इसलिए तुरन्त दावा पेश कर शुद्धिकरण करवाया जाना आवश्यक हो गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वादगत खेत रोही मौजा रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनवायी का श्रीमान्जी को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा हर प्रकार से समयावधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

है । अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि वादिनी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे–

(क) कि प्रतिवादी को यह आदेशित किया जावें कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 1078 तादादी 8.7400 हैक्टेयर वाकेरोही रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है, जिसमें वादिनी का 1/3 हिस्सा भूमि है, के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम फुसी अंकित कर रखा है उसके स्थान पर वादिनी का सही नाम पुष्पा घोषणा किया जावें व उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावें।

(ख) कि वादगत वादिनी की संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1078 तादादी 8.7400 हैक्टेयर वाकेरोही रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादिनी का 1/3 हिस्सा भूमि है के राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे गलत नाम फुसी की जगह पुष्पा अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर उसकी पालना प्रतिवादी से करवायी जावें।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादिनी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादिनी हो जावें वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

वादिनी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादिनी वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादिनी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 1078 तादादी 8.7400 हैक्टेयर वाकेरोही रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम ''फुसी'' के स्थान पर ''पुष्पा'' घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ़

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

पुष्पा पत्नी स्व. सुरजाराम जाति खाती निवासिनी रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।
मुकदमा नम्बर 89/2026
दावा बाबत खाता: घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांक 08.05.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री जगदीश प्रसाद बाना अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 1078 तादादी 8.7400 हैक्टेयर वाकेरोही रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम ''फुसी'' के स्थान पर ''पुष्पा'' घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 08 माह 05 सन् 2026 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)